

**फा.1 / 43 (2) /2018 - भ. IV**

संघ लोक सेवा आयोग  
भर्ती - IV अनुभाग

पद का नाम	पुडुचेरी सरकार के अंतर्गत वाणिज्य कर विभाग में वाणिज्य कर अधिकारी का 01 (एक) पद	
विज्ञापन सं	09/2018	
रिक्ति सं	18050910412	
लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	सामान्य (अनारक्षित)	अ.यो. (क)+ अ.यो. (ख) को 6 वर्ष और इससे अधिक तक बढ़ाया गया
	अ.पि.व.	-
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	शा.वि.	-

**अपनाए गए मानदंड:**

1. संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा कंप्यूटर प्रणाली द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर उनके ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की गई जानकारी और तत्पश्चात ओआरए में किए गए दावों के समर्थन में अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों का विश्लेषण करके केवल उन आवेदकों के संबंध में की गई है जिनके दावे अर्हता अपेक्षाओं को पूरा करते हैं और प्रासंगिक हैं।
2. आवश्यक प्रमाणपत्रों द्वारा समर्थित होने पर ही उम्मीदवारों द्वारा दावा किए गए पूर्ण अनुभव पर विचार किया गया है।
3. केवल वाणिज्य, अर्थशास्त्र या बिजनेस स्टडीज/ बीबीए में स्नातक उम्मीदवारों पर ही लघु-सूचीयन के लिए विचार किया गया है। अन्य विषयों में स्नातक उम्मीदवारों को एलईक्यू 'ए' (अनिवार्य योग्यता (शैक्षणिक) में कमी) श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है। लेखा, वित्त चार्टर्ड एकाउंटेंसी में अनुभव या चार्टर्ड एकाउंटेंट / लागत और प्रबंधन लेखाकार / कॉर्पोरेट सचिव की फर्मों में काम करना प्रासंगिक माना गया है। निजी क्षेत्र में उपर्युक्त अनुभव वाले आवेदकों को भी पात्र माना गया है। इसके अतिरिक्त, यदि कर संबंधित मामलों में अनुभव स्पष्ट रूप से इंगित नहीं किया गया है तो बैंक में अनुभव को प्रासंगिक नहीं माना गया है।
4. जिन उम्मीदवारों का अनुभव भर्ती नियमावली के अनुसार संगत क्षेत्र में नहीं है, उन्हें एलईक्यू 'ख' के अंतर्गत अस्वीकृत कर दिया गया है।
5. नियुक्ति-पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाणपत्र तथा उम्मीदवारों द्वारा स्वसत्यापित प्रमाणपत्रों अथवा स्वरोजगार प्रमाण-पत्रों पर अनुभव प्रमाणपत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों के मामले में भी यह माना गया है कि उन्हें संगत क्षेत्र का अनुभव प्राप्त नहीं है और इन्हें 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकृत किया गया है।
6. अनुभव प्रमाणपत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, जहां आवेदकों ने विहित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं वहां पर, अगर समस्त अपेक्षित सूचना जो विहित

प्रोफॉर्मा में होती, उपलब्ध है तो उनके प्रमाण पत्रों पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है।

7. जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, उन पर विचार किए बिना उन्हें 'अपूर्ण' मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परंतु इस दावे के समर्थन में प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को अस्वीकृत कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. वे आवेदन, जिनमें केवल एक अनुभव का दावा किया गया है और यह संगत है, परंतु अनुभव प्रमाण पत्र अद्यतन नहीं है अथवा कोई भी अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है और एक से अधिक अनुभव वाले आवेदन, परंतु मौजूदा नौकरी का अद्यतन अनुभव प्रमाण पत्र (जो संगत भी है) प्रस्तुत नहीं किया गया है, पर भी विचार किया गया है बशर्ते उनसे मांगे गए समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हों और प्रस्तुत दस्तावेज क्रम में हों।
9. कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।

<b>लघु-सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक</b>		34* 35/36 78 89* 124 176 190 230 247* 256 336 338 403 433	14(उम्मीदवार)
<b>लघु सूचीबद्ध-नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक</b>	अस्वीकृति श्रेणी	<b>अनुक्रमांक</b>	
	अधिवयस	231^ 241 371^^	(03 उम्मीदवार)
		^ आवेदक ने पूर्व-सैनिक होने का दावा किया है लेकिन दावे के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा अनुभव प्रासंगिक नहीं है और इसलिए एलईक्यू 'ख' के रूप में भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा।	
		^^ केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को आयु में दी गई छूट के लिए बैंक कर्मचारी हकदार नहीं हैं।	
	एलईक्यू-क	67 (बीसीए के तहत भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा) (01 उम्मीदवार)	
	एलईक्यू-ख	51 52 73 108 111 129 168 290 292 307 321 385	(12 उम्मीदवार)

अधूरे	<b>अनुक्रमांक</b>	<b>कारण</b>
	12, 27, 57, 84, 138, 163, 171, 185, 200, 203, 218, 246, 248, 272, 287, 304, 308, 334, 386	कोई अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न नहीं / संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र अधूरा है। अनुभव प्रमाणपत्र में कार्य की प्रकृति इंगित नहीं की गई है/ अनुभव प्रमाणपत्र में तारीखों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है/ ओआरए में दावा किए गए संपूर्ण अनुभव के लिए अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया/ अनुभव प्रमाणपत्र आवेदन में किए गए दावों से मेल नहीं खाता। नियुक्तिपत्र/ त्यागपत्र/ तैनाती आदेश/ स्थानांतरण आदेश/ सेवा प्रमाणपत्र/ कार्यालय आदेश/ वेतन प्रमाणपत्र पर अनुभव प्रमाणपत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है।
	81, 135, 140, 177, 379, 402, 405	मांगे गए दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
	(कुल 26 उम्मीदवार)	
बीसीए	<b>अनुक्रमांक</b>	<b>कारण</b>
	11	केवल 4 वर्ष 1 माह का ही अनुभव प्रमाणपत्र संगत है।
	17	केवल 4 वर्ष 2 माह का ही अनुभव प्रमाणपत्र संगत है।
	82	केवल 3 वर्ष का ही अनुभव प्रमाणपत्र संगत है।
	217	केवल 5 वर्ष 5 माह का ही अनुभव प्रमाणपत्र संगत है।
	331	केवल 2 वर्ष 6 माह का ही अनुभव प्रमाणपत्र संगत है।
	अनुक्रमांक 441** सहित शेष 379 उम्मीदवारों को ऊपर सूचीबद्ध नहीं किया गया है क्योंकि बढ़ाए गए मानदंडों से कम अनुभव होने के कारण उन पर विचार नहीं किया गया।	

\* सशर्त

\*\* अनुक्रमांक 441 को भी इस पद के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है क्योंकि यह पद शा.वि. उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं है और अनुक्रमांक 441 शा.वि. उम्मीदवार है। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह पद शा.वि. उम्मीदवारों के लिए उपयुक्त नहीं है, इसलिए अनुक्रमांक 441 शा.वि. उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट के हकदार नहीं है और इसलिए, इन्हें अधिवयस के रूप में भी अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

संकेतक:

ईक्यू 'क' : वाणिज्य / अर्थशास्त्र / बिजनेस स्टडीज में स्नातक डिग्री।

ईक्यू 'ख' : किसी भी सरकार या सूचीबद्ध निजी क्षेत्र संगठन या चार्टर्ड एकाउंटेंट/ लागत और प्रबंधन लेखाकार/ कॉर्पोरेट सचिव की फर्म में करधान लेखा में दो वर्ष का अनुभव।

एलईक्यू (क) - आवश्यक योग्यता- क में कमी

एलईक्यू (ख) - आवश्यक योग्यता -ख में कमी

बीसीए - बेहतर उम्मीदवार उपलब्ध

उप सचिव (भ.।V)

विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।